

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर की दिनांक 24.05.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, सं० शा० सं० 95/छिहत्तर-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रगती क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल 2010 (टी०सी०३०) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का पुर्नगठन किया गया था। शासनादेश द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को जलापूर्ति की योजना की स्वीकृति एवं राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अग्रसारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जनपद गौतमबुद्धनगर की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर" की बैठक दिनांक 24.05.2023 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर-उपाध्यक्ष।
जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
प्रभागीय वनाधिकारी/नामित अधिकारी -सदस्य।
4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी-सदस्य।
5. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
7. अधिशासी अभियंता, सिचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
10. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) गौतमबुद्धनगर-सदस्य सचिव।
11. मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद के प्रोजेक्ट मैनेजर

अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2394/W-22/NIT/2020-21 दिनांक 25.01.2021 नमक-ख) के द्वारा मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० विरचन एवं पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद गौतमबुद्धनगर हेतु पत्र संख्या- LC/ GBN/JJM/281 दिनांक 16-05-2023 (संलग्नक-ग) के माध्यम से 06 नग नई एवं 01 नग पुनरीक्षित कुल 07 नग डी०पी०आर० जल निगम कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिनमें 07 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा जल निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइड लाइन के अनुरूप जल निगम कार्यालय द्वारा जाँच की गई है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी 12.50 प्रतिशत विभागीय सेंटेंज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेंटेंज के व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय कर भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार Ultimate Design Year के लिये योजना हेतु Per Capita Cost की दर रु 9000.00 निर्धारित की गई है तथा उक्त आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सी तथा जी०एस०टी० को लिया गया है। मैसर्स एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क्र सं	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	डिजाईन वर्ष 2052 की जनसंख्या	वर्क कॉस्ट (रु०करोड़)	सेंटेंज (रु०करोड़)	कुल लागत (रु० करोड़)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाईन वर्ष 2052 हेतु (रु०)
1	नंगला नैनसुख	दादरी	1	453	2942	2.45	0.26	2.71	8331
2	उपरालसी	दादरी	1	422	2743	2.13	0.23	2.35	7749
3	रामगढ़ चमरावली	दादरी	1	479	3128	2.39	0.25	2.64	7634
4	गिरधरपुर सुनारसी	बिसरख	1	1610	8352	6.17	0.65	6.82	7388
5	महावड	बिसरख	1	717	4676	3.62	0.38	4.01	7747
6	दुलैलपुर	जेवर	1	34	318	0.68	0.07	0.76	21530
7	इरामाबाद कल्दा (पुनरीक्षित)	बिसरख	1	224	2175	1.76	0.19	1.94	6869

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार डी0पी0आर0 में (1) प्रति व्यक्ति लागत ₹0 9000 से कम होनी चाहिए (2) योजना में एकल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत ₹0 35000 से कम होनी चाहिए तथा बहुल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत ₹0 65000 से कम होनी चाहिए (3) प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत ₹0 15.00 लाख से कम होनी चाहिए।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त प्रस्तुत समस्त 07 नग डी0पी0आर0 की कार्यालय जल निगम (ग्रामीण) शौचमयबुद्धनगर द्वारा विस्तृत रूप से जाँच करने पर भी उक्त 07 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई हैं। उपरोक्त योजनाओं के मानक में नही होने का विवरण एवं कारण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	वर्क कॉस्ट (₹0 करोड़)	सैन्टेज (₹0 करोड़)	कुल लागत (₹0 करोड़)	डिजाइन वर्ष 2052 की जनसंख्या	प्रति व्यक्ति लागत ₹0 में डिजाइन वर्ष 2052 हेतु मानक ₹0 9000 के सापेक्ष	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	प्रति FHTC की लागत मानक ₹0 35000 के सापेक्ष	प्रति कि0मी0 की लागत मानक ₹0 15 लाख के सापेक्ष	मानक के अनुरूप नही होने का कारण
1	नंगला नैनसुख	दादरी	2.45	0.26	2.71	2942	8331	453	54084	12.62	घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है।
2	नगरालसी	दादरी	2.13	0.23	2.35	2743	7749	422	50474	15.17	घरों की संख्या कम तथा सी0सी0 रोड अधिक होने के कारण प्रति FHTC तथा प्रति कि0मी0 मानक के अनुरूप नहीं है।
3	रामगढ़ चमरावली	दादरी	2.39	0.25	2.64	3128	7634	479	49895	14.11	घरों की संख्या कम होने के कारण योजना में प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है।
4	गिरधरपुर सुनारसी	बिसरख	6.17	0.65	6.82	8352	7388	1610	38323	10.88	घरों की संख्या कम तथा सी0सी0 रोड अधिक होने के कारण प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है।
5	महावड	बिसरख	3.62	0.38	4.01	4676	7747	717	50488	8.92	घरों की संख्या कम होने के कारण योजना में प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है।
6	काद कल्दा (संशोधित)	बिसरख	1.76	0.19	1.94	2557	6869	224	78571	13.52	घरों की संख्या कम होने के कारण योजना में प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है।
7	दलेलपुर	जेवर	0.68	0.07	0.76	318	21530	34	200000	8.66	आबादी एवं घरों की संख्या कम होने के कारण योजना में प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि एल0सी0इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत समस्त 07 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित उपरोक्त विभिन्न मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण कम्पलाईन नहीं है। उपरोक्त प्रस्तुत 07 डी0पी0आर0 में से 01 नग डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत ₹0 9000 से अधिक है, 07 नग डी0पी0आर0 में से समस्त 07 नग डी0पी0आर0 की प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत ₹0 35000 से अधिक है एवं 07 नग डी0पी0आर0 में से 1 नग डी0पी0आर0 प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत ₹0 15.00 लाख से अधिक है। जिस कारण से उपरोक्त समस्त 07 नग डी0पी0आर0 निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त योजनाओं में से क्रमांक 1,2,3,5,6 एवं 7 पर अंकित 06 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 की लागत ₹0 5.00 करोड से कम होने के कारण शासनादेश संख्या-51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 08.08.2021 (संलग्नक-घ) के बिन्दु सं0 12 के अनुसार समस्त 06 नग योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त कगाक 04 पर अंकित योजना की लागत 5.00 करोड से अधिक होने के कारण शासनादेश संख्या-03/2022/230/छिहत्तर-1-2022-25सम/2019 दिनांक 08.02.2022 (संलग्नक-घ) के बिन्दु सं0-04 के अनुसार ₹0 5.00 करोड से अधिक लागत की

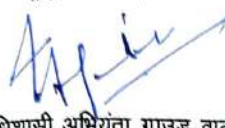
जनाओं के डी0पी0आर0 की वेटिंग आई0आई0टी0/एन0आई0टी0/अन्य राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के तत्त्व तकनीकी स्वीकृति एवं ड्राईग/डिजाइन की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा प्रदान की जायेगी। सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा सम्यक रूपान्तर मानक के अनुरूप नहीं पायी गयी समस्त 07 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 (06 नग नई एवं 01 नग पुनरीक्षित) को जॉच एवं स्वीकृति हेतु पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

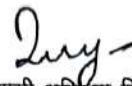
बैठक धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।


अधिशोषी अभियंता,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर
सदस्य सचिव।


जिला सूचना एवं
जन सम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
सदस्य।


जिला कृषि अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


अधिशोषी अभियंता ग्राउंड वाटर,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


अधिशोषी अभियंता सिचाई,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


जिला विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


मुख्य विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर, उपाध्यक्ष।


जिला अधिकारी
गौतमबुद्धनगर अध्यक्ष।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर।